कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद।

पत्रांकः–स–94/सीएफओ–एमडीडी–स्कूल–15(रामपुर)/199 दिनांकः जुलाई 09 2015।

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक,
एक्मे लर्निग ऑफ स्कूल फुलसुंगः तहसील बिलासपुर ,
जनपद रामपुर।

विषयः – एक्मे लर्निग ऑफ स्कूल फुलसुंगा तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर को अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भः 1– मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन शिक्षा (6) अनुभाग का शासनादेश संख्या 1528/79–6–08 दिनाक 20–7–2012।

2– मा0 सर्वोच्च न्यायालय मे योजित जनहित याचिका संख्याः 483/2004 अवनीश महरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य मे पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांकः 13–4–2009 के अनुपालन में प्रदेश के स्कूलों/कालिजों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में सचिव उ0प्र0 शासन, शिक्षा(7) अनुभाग का शासनादेश संख्याः1801/15–7–09–1(124)/2009 दिनांकः 20–7--2009 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अनापत्ति सम्बन्धी आख्या।

3– आपका ऑन लाइन UID no. 2015/11532/rpr/rampur/163/cfo के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने ऑन लाइन पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा उक्त प्रश्नगत निर्मित एजुकेशनल भवन की सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित शासनादेशों के अनुपालन मे भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता–2005 में उल्लिखित शैक्षिक भवनों के लिये प्राविधानित अग्निशमन सुरक्षा के अनुरूप अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का सुसंगत मानको के अनुसार परीशीलन किया गया आख्या निम्नवत् है :–

मान्यता–प्रश्नगत भवन की नवीन मान्यता हेतु आवेदन किया गया है।

1–भवन की संरचना :–प्रश्नगत भवन केवल भूतल एवं प्रथम तल पर निर्मित है।

जिसका कुल प्लाट एरिया–998.26 वर्गमीटर
भूतल कवर्ड एरिया--321.04 वर्गमीटर।
प्रथम तल कवर्ड एरिया–321.04 वर्गमीटर।
भवन की ऊँचाई–06.70 मीटर।

(2) ढॉचागत सुरक्षा व्यवस्था :–

1–पहुंच मार्गः–12.00 मीटर।
2–प्रवेश द्वार–04.50 मीटर।

3–सैट बैक–
अग्रभाग–06 मीटर। पार्श्व–1–06 मीटर। पार्श्व।।–06 मीटर। पृष्ठ भाग मे–06 मीटर।

कृ0प0प0..............

4–निकास मार्ग :– प्रश्नगत भवन में प्रथम तल से निकास हेतु 01.50 मीटर चौड़ाई के 02 स्टेयर केस उपलब्ध है, जिनकी ट्रैवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

अग्निशमन व्यवस्था :–

1–निर्मित भवन में अग्निशमन हेतु आई0एस0 2190 के अनुसार ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर स्थापित किये गये हैं

2–अग्निशमन उपकरणो के संचालन का प्रशिक्षण प्रबन्धको द्वारा नियमानुसार कराया गया।
3–अग्निशमन पद्वति का अनुरक्षण प्रतिवर्ष फायर एक्सटिंग्यूशर रिफलिंग नियामनुसार कराया जायेगा।

विशेष उल्लेखनीय है कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के पार्ट–2 के प्रस्तर 3.8 में विद्यमान भवनों हेतु निर्धारित नीति के अनुरूप प्रश्नगत भवन में अधिवासियों के आकस्मिक निकास व अग्निशमन सम्बन्धी व्यवस्थाओं को एन0बी0सी0 मानक में निर्धारित अर्हताओं के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ।

अतः उपरोक्त विषयगत स्कूल को निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्था सम्बन्धी शर्तो के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गयाः–

1–वर्तमान में विद्यालय भवन के प्रस्तुत मानचित्र के अतिरिक्त भविष्य में निर्माण करने की दशा में इस विभाग से पुनः अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
2–स्कूल की ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था की वर्तमान दशा पहुंच मार्ग, सैट बैक, फायर स्केप व अग्निशमन व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं की जायेगी।
3–विस्फोटक पदार्थो का भण्डारण विधालय परिसर मे कदापि नही करेगे।
4–स्कूल में भोजन/मिड–डे मील आदि तैयार करने सम्बन्धी कार्य केवल भूतल पर व निकास मार्गो से दूर टिन शैड में ही किया जायेगा।
5–वर्तमान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना होगा तथा प्रति वर्ष उपकरणो का निर्धारित शुल्क राजकीय कोषागार मे जमा कराकर उनका निरीक्षण/अनुरक्षण कराकर उनकी कार्यशीलता का प्रयोज्यता प्रमाण पत्र इस विभाग से प्राप्त करना होगा अन्यथा की स्थिति मे निर्गत अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पर स्वतः निरस्त समझा जायेगा

अतः उपरोक्त शर्तो के अधीन एक्मे लर्निंग ऑफ स्कूल फुलसुंगा तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर हेतु अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।
संलग्न–मानचित्र एक सैट

(वी0के0 सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुरादाबाद/रामपुर ।

(वी० के० सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुरादाबाद

प्रतिलिपिः1–संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–खण्ड शिक्षा अधिकारी बिलासपुर जनपद रामपुर को कृपया सूचनार्थ।
3–प्रभारी अग्निशमन केन्द्र रामपुर को सूचनार्थ एवं आ0 का0 हेतु।